13/3/24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान् वकील उपस्थित। वादी वकील ने वादी के हक में T. I. देने हेतु निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष के वकीलों की बहस को सुना गया। साथ संलग्न दस्तावेजों को भी अवलोकन किया गया। अवलोकन

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.28 16:04:26 IST
Reason: SelfAttested

पश्चात् न्यायालय को प्रथम दृष्टया वाद वादी के हक
में जाता प्रतीत होता है साथ ही यदि वादी के हक
में T.I जारी नहीं की जाती है तो वादी को अपूरणीय
क्षति कारित हो सकती है तथा वादी के पक्ष का
सुविधा का संतुलन भी प्रभावित हो सकता है अतः!
वादी के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय
वाद के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिवादी संख्या
1 व 4 को T.I से पाबंद करती है कि वे जमाबंदी
सम्वत् 2074-78 में वर्णित खाता संख्या नवीन-122
पुराना खाता संख्या-102 में वर्णित अराजियात,
खाता संख्या नवीन-124 पुराना, 101, खाता संख्या नवीन-285 पुराना-122
खाता संख्या-नवीन-125 पुराना-129, खाता संख्या-नवीन-126 पुराना-104
खाता संख्या नवीन-127 पुराना-103, में वर्णित अराजियात
को किसी तरह खुर्द-बुर्द ना करें, किसी अन्य
को किसी तरह हस्तांतरण ना करें। वादी के
स्वामित्व की भूमि के स्वयं के उपयोग करने में
कोई व्यवधान उत्पन्न ना करें। TDR अर्जी भी
इस T.I. से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार
होकर नियमानुसार
मूल पत्रावली के साथ संलग्न

...अधिकारी
...जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.28 16:04:26 IST
Reason: SelfAttested